



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

SBU & PC-Gypsum,

Plot No.02, Gandhi Nagar Scheme Bikaner.

Phone:-0151-2200171-73, 0151-2523295, Fax:-0151-2523519

Website –www.rsmm.com email: info.rsmml@rajasthan.gov.in

CIN –U14109RJ1949SGC000505

क.:आर.एस.एम.एम./जिप/प्रशा/4(33)/2025-336

दिनांक : 28.10.2025

निविदा सूचना

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड., एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. जिप्सम, के प्लॉट नं. 02, गांधी नगर योजना, बीकानेर स्थित कार्यालय भवन में केन्टिन (जल पान गृह) चलाने हेतु अनुभवी व्यक्तियों/ ठेकेदारों से एक वर्ष की समयावधि के लिए मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

प्रस्ताव प्रपत्र संस्थान के बीकानेर कार्यालय के कार्मिक एवं प्रशासन विभाग में शुल्क रूपये 590/–(अखरे रूपये पाँच सौ नब्बे मात्र जी.एस.टी. सहित) जो कि राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लि., बीकानेर के नाम डी.डी.के जरिये अथवा नकद जमा करवा कर दिनांक **30.10.2025** से **19.11.2025** तक किसी भी कार्य दिवस (अवकाश के अतिरिक्त) के दौरान (प्रातः 10.00 से सायं 4.00 बजे तक) प्राप्त किये जा सकते हैं, इसके अलावा इच्छुक निविदाकार प्रस्ताव प्रपत्र का वेबसाईड www.sppp.rajasthan.gov.in अथवा www.rsmm.com से डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड किया गया प्रस्तावप्रपत्र, प्रस्तुत करते समय निविदाकार को प्रस्ताव प्रपत्र शुल्क के रूप में रूपये 590/–(अखरे रूपये पाँच सौ नब्बे मात्र जी.एस.टी. सहित) का डी.डी. जो की राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लि., बीकानेर के नाम देय हो, प्रस्तावप्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। प्रस्ताव दिनांक **21.11.2025** को सायं: **03:30** बजे तक बीकानेर स्थित कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। प्राप्त प्रस्तावों के प्रथम भाग (तकनीक भाग), दिनांक **24.11.2025** को सायं: **03:30** बजे इच्छुक निविदाकारों/प्रतिनिधियों के समक्ष, कम्पनी के बीकानेर स्थित कार्यालय में खोले जायेंगे।

कम्पनी (आरएसएमएमएल) के पास किसी भी या समस्त प्रस्तावों को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

प्रमुख एवं प्रभारी (जिप्सम)



राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि.,

(राजस्थान सरकार का प्रतिष्ठान)

एस.बी.यू. एण्ड पी. सी. जिप्सम, 2, गॉंधी नगर योजना, बीकानेर

Website –www.rsmm.com , email: info.rsmml@rajasthan.gov.in

Registered Office C-89-90, Janpath Lal Kothi Scheme Jaipur - 302015

CIN &U14109RJ1949SGC000505

फोन नं- 0151-2200171-73,

फैक्स नं- 0151-2523519

निविदा संख्या:-आर.एस.एम.एम./जिप/प्रशा/4(33)/2025-336

दिनांक : 28.10.2025

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि.,एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. जिप्सम, बीकानेर कार्यालय मे
कैन्टिन (जल पान गृह) चलाने हेतु निविदा प्रपत्र।

निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि व समय : दिनांक **21.11.2025** समय: दोपहर **03.30** बजे तक

निविदा खुलने की तिथि व समय: दिनांक **24.11.2025** समय: दोपहर **03.30** बजे

निविदा प्रपत्र की बिक्री: दिनांक **30.10.2025** से दिनांक **19.11.2025** तक

प्रातः 10.00 से सायं 4.00 बजे तक

(कार्यालय दिवस में)

स्थान : आर.एस.एम.एम.लि.,2, गॉंधी नगर योजना, बीकानेर।

निविदा प्रपत्र का मूल्य : रु. 590/- (अखरे रूपये पाँच सौ नब्बे मात्र,
जी.एस.टी. सहित)

प्रमुख एवं प्रभारी (जिप्सम)
बीकानेर कार्यालय की ओर से जारी

कॉर्पोरेट कार्यालय,
आर.एस.एम.एम, लिमिटेड,
4-मीरा मार्ग, उदयपुर
फोन : 0294-2428763-67

रजिस्टर्ड कार्यालय
आर.एस.एम.एम, लिमिटेड,
89-90 लालकोठी स्कीम,
जयपुर फोन : 0141-2743735



राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि.
(राजस्थान सरकार का प्रतिष्ठान)
एस .बी.यू. एण्ड पी. सी. जिप्सम, 2, गॉंधी नगर योजना, बीकानेर

अनुभाग—प्रथम परिभाषा

इस निविदा में दिये गये निम्नलिखित शब्दों का अर्थ इस प्रकार से है :

- "आरएसएमएमएल" या कंपनी का अर्थ राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड से है जिसका पंजीकृत कार्यालय सी-89-90, लाल कोठी स्कीम, जयपुर-302015, राजस्थान है और कारपोरेट कार्यालय, 4- मीरा मार्ग, उदयपुर- राजस्थान है।
- अनुबंधकर्ता : अनुबंध के अर्न्तगत व्यक्ति या व्यक्तियों, फर्म अथवा कंपनी जिसका निविदा आरएसएमएमएल ने स्वीकृत कर लिया है और अनुबंधकर्ता की परिभाषा में अनुबंधकर्ता के वैधानिक प्रतिनिधि, प्रशासक, उत्तराधिकारी और एकजीक्यूटर को भी सम्मिलित किया गया है।
- वैधानिक दायित्व : कॉर्पोरेट कार्यालय क्षेत्र से संबंधित मौजूदा कानूनों के अर्न्तगत आने वाले वैधानिक दायित्वों से है।
- स्वीकृति का अर्थ है कम्पनी ऑफिसर इन्चार्ज द्वारा लिखित में अनुमोदन करने से है।
- प्राधिकरण अधिकारी : प्राधिकरण अधिकारी से तात्पर्य कंपनी के प्रबंध निदेशक से है।
- प्रबंध निदेशक : प्रबंध निदेशक का अर्थ आरएसएमएमएल के प्रबंध निदेशक से है।
- अनुबंध : अनुबंध का अर्थ है कार्य को निष्पादित करने हेतु कंपनी और अनुबंधकर्ता के मध्य हुए एग्रीमेन्ट से है। इसमें सारे दस्तावेज जैसे अनुबंधकर्ता को आमंत्रित करने हेतु आमंत्रण पत्र, अनुबंधकर्ता को दिये गये निर्देश, अनुबंध की सामान्य स्थिति, अनुबंध की विशेष स्थिति, कार्यक्षेत्र, सामान्य आवश्यकताएँ, कार्यावधि, कार्यादेश जारी करने हेतु लेटर ऑफ इन्टेन्ट, ईमेल/ फ़ैक्स आदि को भी सम्मिलित किया गया है।
- अनुबन्ध दर व अनुसूची दर व निविदा दर व पारिश्रमिक की दर : का अर्थ निविदाकार द्वारा निविदा में वर्णित शब्दों और अंकों में भरी गई दर से है और जिसे कंपनी ने अनुबंध और अनुबन्ध में आने वाले सभी दायित्वों का अनुबन्धकर्ता के द्वारा निष्पादन हेतु स्वीकृत किया है।
- वरिष्ठ प्रबन्धक(कार्मिक एवं प्रशासन) का अर्थ :कंपनी का नामित अधिकारी जो इस कार्य का समग्र पर्यवेक्षण, समन्वय, निर्देशन और समय-समय पर, इस कार्य हेतु प्रशासन करेगा, से है।
- प्रमुख एवं प्रभारी (जिप्सम) का अर्थ है आरएसएमएमएल के एस.बी.यू. एण्ड पी.सी.-जिप्सम से या कंपनी द्वारा नामित अधिकारी जो आफिस में प्रमुख एवं प्रभारी (जिप्सम) संविदा का उतराधिकारी हो को शामिल किया गया है।
- LOA /DLOA -से तात्पर्य निविदाकार को लेटर/ईमेल/फ़ैक्स द्वारा सूचना देने से है, कि निविदाकार की निविदा कंपनी द्वारा स्वीकृत कर ली गई है। यह स्वीकृति लेटर ईमेल/फ़ैक्स में दिये गये प्रावधान अनुसार है।
- लिखित सूचना : पंजीकृत डाक द्वारा निविदाकार के अन्तिम ज्ञात व्यावसायिक प्रतिष्ठान के पते पर रजिस्टर्ड/हेड/लोकल ऑफिस के पते पर भेजने से है।
- बीकानेर, कार्यालय, बीकानेर - जहाँ निविदाकार को कंपनी द्वारा दिया गया कार्य, कार्यादेश अनुसार करने से है।
- टेण्डर : NIT की एवज में निविदाकार द्वारा ऑनलाइन भरी गई निविदा, सम्बंधित दस्तावेज बाद में किये गये विचार विमर्श, एवं वार्तालाप का लिखित ब्यौरा, कंपनी और निविदाकार के बीच में हुआ है को सम्मिलित किया जायेगा।

अनुभाग-द्वितीय

निविदा संख्या:-आर.एस.एम.एम./जिप/प्रशा/4(33)/2025-336

दिनांक : 28.10.2025

राजस्थान स्टेट मार्टिन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, एस.बी.यू. एण्ड पी.सी.-जिप्सम, बीकानेर कार्यालय के लिये कैंटीन संचालन हेतु मोहरबन्द निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं ।

1.0 कार्य एवं कार्य क्षेत्र

आर.एस.एम.एम. लिमिटेड के उपरोक्त कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों को प्रतिदिन दिन में तीन बार चाय 10.30 से 11.00 बजे, 2.30 से 3.00 बजे एवं सायं 5.00 से 5.30 बजे के मध्य टेबल पर उपलब्ध करवाना एवं इसके अलावा समय-समय पर टेलीफोन पर मंगवाने पर भी चाय/काफी, शीतल पेय व छाछ इत्यादि भिजवाना । कैंटीन प्रत्येक कार्य दिवस प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 तक खुली रखनी होगी एवं अवकाश के दिन आवश्यकता होने पर कैंटीन खोलनी होगी ।

2.0 कार्य अवधि :

कार्य की अवधि कार्यादेश जारी करने की तिथि से **एक वर्ष तक के लिये मान्य होगी** । सफल निविदाकार विभाग के साथ एक अनुबंध स्वयं के खर्चे पर करेगा जो एक (01)वर्ष तक मान्य होगा । जो कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से **एक माह में करना होगा** । कार्य अवधि समाप्त होने के पश्चात अनुबंध को **RTTP** एक्ट के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ा सकती है ।

निविदा नियम एवं शर्तें :-

(अ) प्रथम लिफाफे में जिस पर "टेक्नीकल बिड" लिखा होगा, में निम्नलिखित दस्तावेज होंगे।

(1) वांछित बयाना राशि (EMD) रु.8,000/-का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर ।

(2) कोई निकट संबंधी का आर.एस.एम.एम.एल. में नियुक्त नही होने का प्रमाण-पत्र ।

(3) निविदाकार को सरकारी/प्राइवेट संस्थानों में पिछले तीन (3)वर्षों में कम से कम एक(01)वर्ष कैंटीन चलाने का संतोषजनक अनुभव होना चाहिए । निविदाकार का उक्त संस्थान का इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा ।

(ब) दूसरे लिफाफे में जिस पर "वित्तीय बिड" लिखा होगा, अनुलग्नक-V में दरें उल्लेखित करनी होगी।

3.2 पहले "टेक्नीकल बिड " खोला जायेगा एवं उसके नियमानुसार ठीक पाये जाने पर दूसरा "वित्तीय बिड" लिफाफा खोला जायेगा ।

3.3 (क) दोनों लिफाफों को एक तीसरे लिफाफे में बंद करके उस पर निम्न पता लिखना होगा ।

प्रमुख एवं प्रभारी(जिप्सम),आर.एस.एम.एम.लि.,एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. जिप्सम, 2, गॉंधी नगर योजना, बीकानेर।

(ख) लिफाफों के उपर "निविदा क्रमांक एवं दिनांक 24.11.2025 के पूर्व न खोला जाए"लिखा होना चाहिए।

(ग) लिफाफों के उपर 'निविदाकार द्वारा अपना नाम व पता एवं फोन नम्बर स्पष्ट लिखा होना चाहिए।

3.4 निविदा मोहरबंद लिफाफे में जिस पर **प्रमुख एवं प्रभारी (जिप्सम),एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. जिप्सम, 2,गॉंधी नगर योजना,आर.एस.एम.एम.एल.,** बीकानेर कार्यालय लिखा होगा ,दिनांककृ **21.11.2025** को दोपहर 03.30 बजे तक पहुँच जानी चाहिए। निविदाएँ दिनांक **24.11.2025** को दोपहर 03.30 बजे वरिष्ठ प्रबन्धक(का.एवं प्रशा.) के कक्ष में खोली जायेगी ।

4.0 बयाना राशि (Earnest Money)

4.1 निविदा प्रपत्र जमा कराने के साथ रुपये 8000/- (रु. आठ हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर बयाना राशि के रूप में संलग्न करना होगा, जो कि आर. एस. एम. एम. लि. बीकानेर के नाम से देय हो बिना बयाना राशि के निविदा प्रपत्र स्वीकृत नहीं किये जाएंगे।

4.2 सफल निविदाकार की बयाना राशि को प्रतिभूति राशि में समायोजित कर दिया जाएगा।

4.3 बयाना राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा ।

4.4 अगर सफल निविदाकार कार्य आदेश जारी करने के पश्चात सात दिवस में कार्य प्रारम्भ नही करता है तो बयाना राशि व अन्य जमा राशि जब्त कर ली जायेगी व कार्य आदेश निरस्त किये जाने का अधिकार कम्पनी को होगा ।ऐसे निविदाकार भविष्य में कम्पनी में किसी निविदा में भाग नही ले सकेंगे ।

4.5 निविदाकार की बयाना राशि निम्न परिस्थितियों में कम्पनी द्वारा जब्त की जा सकती है-

- i) यदि निविदाकार निविदा देने के पश्चात वैधता अवधि के दौरान अपनी निविदा व प्रस्ताव को परिवर्तित करता अथवा वापिस लेता है ।
- ii) यदि निविदाकार कार्य आदेश को निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त कर स्वीकृति प्रदान नहीं करता है ।
- iii) यदि निविदाकार प्रपत्र में उल्लेखित निर्धारित अवधि के अन्दर अनुबंध सम्पादित नहीं करता है
- iv) यदि यह कम्पनी द्वारा सुनिश्चित हो जाता है कि निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने के समय अथवा बाद में निविदाकार ने गलत सूचना व फर्जी दस्तावेज निविदा प्रपत्र में संलग्न किये हैं ।
- v) यदि कार्य आदेश जारी होने के पश्चात निर्धारित अवधि में कार्य आरम्भ नहीं किया जाता है ।

5. प्रतिभूति राशि (Security Deposit)

- 5.1 कम्पनी के प्रचलित नियम व शर्तों के अनुसार प्रतिभूति राशि की दर कुल निविदा कार्य की 10% है निविदाकार की बयाना राशि को प्रतिभूति राशि में समायोजित कर दिया जाएगा। बयाना राशि समायोजन करने के पश्चात् 50 प्रतिशत प्रतिभूति राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में कार्य आदेश/सहमति पत्र /एल0ओ0ए0 जारी करनेके 15 दिन के अन्दर जमा करानी आवश्यक होगी एवं शेष 50 प्रतिशत राशि की कटौती प्रतिमाह के बिलों में से से की जायेगी।
- 5.2 अगर ठेकेदार कार्य करने में असफल रहता है तो कम्पनी अपने निर्णय से प्रतिभूति राशि को आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर सकेगी। कम्पनी को पूर्ण अधिकार होगा कि ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर अथवा किसी प्रकार की हानि अथवा अनियमितता होने पर प्रतिभूति राशि में से होने वाले नुकसान की भरपायी रकम काट कर की जा सकेगी। ऐसी कटौती के परिणाम स्वरूप प्रतिभूति राशि में कोई कमी होती है तो उसकी पूर्ति ठेकेदार के मासिक बिलों में से की जा सकेगी।
- 5.3 प्रतिभूति राशि का भुगतान अनुबंध के समाप्त होने के सामान्यतः छः (06) माह के पश्चात कर दिया जाएगा। ठेकेदार को सभी प्रकार की कटौतियाँ, श्रमिकों का वेतन इत्यादि का भुगतान कर दिया है का प्रमाण पत्र, एवं नो ड्यूज और नो क्लेम का प्रमाण पत्र (No dues and no claim certifice) भी देना आवश्यक हैं।
- 5.4 प्रतिभूति राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- 5.5 पी.एफ. मे रजिस्टर्ड प्रस्तावकों को अथवा तकनीकी भाग के साथ इस आशय का शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करने पर कि कार्य आदेश जारी होने के बाद पी.एफ.का रजिस्टेशन करवा लिया जायेगा को ही निविदा में भाग लेने हेतु योग्य माना जायेगा ।

6.0 अतिरिक्त सुरक्षा राशि (Additional Security Deposit)::-

- 6.1 RTTP अधिनियम और नियम के नियम 75 में निर्देश के अनुसार असंतुलित बोली की स्थिति में सफल निविदाकार से अतिरिक्त सुरक्षा राशि ली जायेगी । अतिरिक्त सुरक्षा राशि असंतुलित बोली का पचास प्रतिशत होगी । सफल निविदाकार से अतिरिक्त सुरक्षा राशि एक मुश्त अनुबंध से पूर्व ली जायेगी । अतिरिक्त सुरक्षा राशि डिमांड ड्रॉफ्ट, चैक, बैंक गारन्टी या सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से जमा करवायी जायेगी ।
- 6.2 अतिरिक्त सुरक्षा राशि का भुगतान निविदाकार को सफलतापूर्वक ठेका समाप्त होने के पश्चात कर दिया जायेगा । अगर ठेका अनुबंध अवधि में सफलतापूर्वक समाप्त नहीं होता है तो अतिरिक्त सुरक्षा राशि जब्त कर जी जायेगी ।

7.0 वस्तु एवं सेवाकर (GST) से सम्बंधित नियम एवं शर्तें-

- 7.1 यदि उक्त ठेके कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का कर वस्तु एवं सेवाकर (GST) इत्यादि जमा करवाने का दायित्व बनता है तो इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। वस्तु एवं सेवाकर(GST) का भुगतान वस्तु एवं सेवाकर(GST)जमा चालान प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।
- 7.2 प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दर वस्तु एवं सेवाकर (GST) रहित एवं अनुबंध पर लागू अन्य सभी करों सहित (निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथी तक)होगी ।
- 7.3 प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दर अनुबंध अवधि में स्थिर रहेगी एवं अनुबंध अवधि में प्रस्तुत दर मे किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जायेगी ।
- 7.4 वस्तु एवं सेवाकर (GST) को समय पर जमा करवाने एवं समय पर रिटर्न भरने की जिम्मेदारी ठेकेदार स्वयं की होगी । ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अगले महीने में RSMML के लिए GST पर आवश्यक क्रेडिट उपलब्ध हो परन्तु यदि क्रेडिट उपलब्ध नहीं होता है तो कम्पनी द्वारा इस राशि का भुगतान ठेकेदार के बिल या प्रतिभुति राशि में से कटौती(Deduct)/ वसुली(Recover)/रोक कर (Retain) किया जायेगा।
- 7.5 इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के भुगतान नहीं होने की स्थिति में,या GST के भुगतान एवं रिटर्न फाईल से सम्बंधित पेनल्टी भी कम्पनी द्वारा ठेकेदार के बिल या प्रतिभुति राशि में से कटौती (Deduct)/ वसुली(Recover)/रोक कर(Retain) की जायेगी ।
- 7.6 ठेकेदार को मासिक बिलों के साथ सम्बंधित कर अवधि में GST जमा करवाने एवं रिटर्न फाईल करने के संदर्भ में परिवचन(Undertaking)प्रस्तुत करना होगा। मासिक बिलों में GSTIN एवं HSN/SAC Code दर्शाना होगा ।

7.7 इसके अलावा प्रस्तावक को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के समय यह परिवचन(Undertaking) भी प्रस्तुत करना होगा कि आज दिनांक तक (निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथी तक) GST के भुगतान एवं उसके रिटर्न फाईल की जा चुकी है एवं इस बाबत किसी भी प्रकार का कोई विवाद लंबित नहीं है एवं ना ही कोई चुक हुई है ।

8.0 नेगोशियेशन

- 8.1 कम्पनी द्वारा केवल न्यूनतम दर प्रस्ताव (L-1) देने वाले निविदाकर्ता से नेगोशियेशन किया जा सकता है। न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता के दर प्रस्ताव को उपयुक्त न पाने की अवस्था में कम्पनी प्रबन्धन लिखित काउन्टर ऑफर द्वारा न्यूनतम निविदाकर्ता को अपना प्रस्ताव देने पर विचार कर सकती है और यदि यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो कम्पनी या तो निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः निविदा आमन्त्रित करेगी अथवा उसी काउन्टर आफर को द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (L-2) को तत्पश्चात् तृतीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (L-3) को एवं दर प्रस्ताव प्रक्रिया के उपरोक्त क्रमानुसार दिया जावेगा। जो भी निविदाकर्ता इस प्रक्रिया के अनुसार काउन्टर आफर स्वीकार करेगा उसे कार्य आदेश कम्पनी द्वारा जारी किया जा सकता है ।
- 8.2 अगर निविदाकर्ता द्वारा नेगोशियेशन के दौरान दिया हुआ प्रस्ताव उसके प्रारम्भिक दर प्रस्ताव से अधिक है तब भी निविदाकर्ता पूर्व में भरी हुई कम दर प्रस्ताव पर कार्य करने हेतु बाध्य होगा ।
- 8.3 नेगोशियेशन के दौरान निविदाकर्ता के प्रतिनिधि को निविदाकर्ता द्वारा लिखित सहमति/अधिकार पत्र (written authority) प्रस्तुत करना होगा जिसमें की यह स्पष्ट वर्णित होगा कि उसका प्रतिनिधि निविदा प्रपत्र में भरी हुई दर प्रस्ताव को संशोधित/बदलने के लिए प्राधिकृत है ।

सामान्य नियम एवं शर्त :-

9. प्रस्तावक/ ठेकेदार का पिछले तीन वर्षों (वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25) में किसी भी एक वर्ष में न्यूनतम टर्नओवर रूप्ये 200000 /- प्रति वर्ष होना आवश्यक है ।
10. वर्तमान में कुल कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों की संख्या 36 है । इस संख्या में कार्य के दौरान 20% तक अन्तर आ सकता है ।
11. कार्य आदेश जारी होने के सात दिवस मे कार्य आरम्भ करना होगा अन्यथा रु 500 /- प्रतिदिन की पेनल्टी ठेकेदार से ली जाएगी । ।
12. विभाग की ओर से केन्टीन के लिये ठेकेदार को भवन, बिजली व पानी निःशुल्क उपलब्ध कराया जावेगा। अन्य सभी सामान की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। केन्टीन में उपयोग होने वाली वस्तुओं को तैयार करने के लिए निविदाकार द्वारा विभागीय बिजली का उपयोग नहीं किया जायेगा। एवं ऐसा करते हुवे पाये जाने पर रु. 1000 /- की पेनल्टी ठेकेदार से वसूल की जायेगी एवं बिजली का उपकरण भी जब्त कर लिया जायेगा, जो वापिस नहीं लौटाया जायेगा ।
13. केन्टीन को प्रतिदिन साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी एवं समुचित साफ सफाई नही पाये जाने पर रु.500 /-प्रतिदिन की पेनल्टी ठेकेदार से वसूल की जायेगी ।
14. खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच कंपनी के अधिकृत अधिकारी द्वारा कभी भी की जा सकेगी। प्रशासन द्वारा कोई भी अनियमितता/गुणवत्ता की कमी पाये जाने पर रु.1000 प्रतिदिन की पेनल्टी ठेकेदार से ली जाएगी। प्रबंधन द्वारा समय-समय पर दिये गये सुझाव/आदेश ठेकेदार को मानने होंगे ।
15. सिगरेट, पान गुटका, नशीले पेय एवं प्रतिबंधित पदार्थों का केन्टीन में रखना / उपलब्ध करवाना एवं विक्रय करना प्रतिबंधित है एवं ऐसा करते हुवे पाये जाने पर रु.1000 /- की पेनल्टी ठेकेदार से वसूल की जायेगी ।
16. केन्टीन नहीं खोलने के फलस्वरूप प्रतिदिन रूप्ये 1000 /-के हिसाब से पेनल्टी के रूप में कटौती मासिक बिल में की जावेगी।इसके अतिरिक्त कम्पनी द्वारा अनुबंध निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है ।
17. निविदाकार के अधीन कार्यरत व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र से अधिक होना आवश्यक है ।
18. निविदाकार को चाहिये कि उसके अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति साफ-सुथरे व निरोगी हो। रोगी एवं संक्रमित व्यक्ति को केन्टीन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।
19. निविदाकार के अधीनस्थ कार्यरत व्यक्तियों को किसी दुर्घटना अथवा चोट आदि का मुआवजा अथवा अन्य किसी प्रकार का दावा व भुगतान निविदाकार को स्वयं करना होगा और विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
20. निविदाकार के अधीनस्थ कार्यरत व्यक्तियों का व्यवहार विभागीय कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण होना आवश्यक है ।

21. निविदाकार के अधीनस्थ कार्यरत व्यक्तियों के वेतन, भत्ते अथवा अन्य भुगतान ठेकेदार को करने होंगे तथा किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए यह विभाग जिम्मेदार नहीं है।
22. निविदाकार के अधीन कार्यरत व्यक्तियों के बारे में पूरी जानकारी निविदाकार स्वयं रखेंगे एवं सुरक्षा कारणों से विभाग द्वारा मांगने पर उपलब्ध कराएंगे।
23. निविदाकार अपने अधीन कार्यरत व्यक्तियों का बीमा स्वयं करवायेगा। अनुबंध अवधि में किसी तरह की दुर्घटना होने पर RSMML का उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।
24. खाद्य व पेय सामग्री बनाए जाने, रखे जाने व उपलब्ध कराई गई खाद्य सामग्री व पेय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम होना आवश्यक है।
25. निविदाकार चाय/कॉफी हेतु केवल सरस के दुध का ही उपयोग करेगा तथा अनुलग्नक-V में दर्शायी गयी मात्रा में चाय/कॉफी उपलब्ध करवायी जायेगी।
26. विभाग द्वारा अनुसूची व स्वीकृत खाद्य/पेय पदार्थों की मात्रा, किस्म व दर में ठेकेदार द्वारा अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार का परिवर्तन निविदा शर्तों का उल्लंघन समझा जायेगा।
27. निविदाकार द्वारा खाद्य/पेय पदार्थ का लेन-देन कूपन प्रणाली द्वारा किया जा सकेगा।
28. प्रत्येक कर्मचारी को कंपनी की ओर से प्रतिदिन उपस्थिति के आधार पर 3 चाय कूपन देय है। ठेकेदार प्रतिमाह चाय कूपन एकत्रित कर दिनांक 15 तक चाय कूपन जमा कराकर भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत कर सकेगा। कर्मचारियों को यदि ठेकेदार की ओर से खाद्य व पेय उधार में उपलब्ध कराई जाती है, तो उस की राशि की वसूली के संबंध में स्वयं ठेकेदार जिम्मेदार होंगा।
29. कम्पनी के सामान की संपूर्ण सुरक्षा ठेकेदार की होगी। किसी भी तरह की टूट-फूट होने पर उक्त सामान की पूरी कीमत ठेकेदार से वसूल की जाएगी। सफल निविदाकार को सभी संसाधन स्वयं ही जुटाने होंगे एवं उक्त कार्य अन्य किसी व्यक्ति को ठेके पर नहीं देगा।
30. निविदाकार अनुलग्नक-IV में अपना परिचय एवं नियम एवं शर्तों की सहमती प्रमाण-पत्र देंगे।
31. प्रमुख एवं प्रभारी (जिप्सम) आर.एस.एम.एम.एल., को किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
32. प्रमुख एवं प्रभारी (जिप्सम) आर.एस.एम.एम.एल., किसी भी दर की निविदा को स्वीकार करने को बाध्य नहीं होगा।
33. अधिकारियों के कक्ष में खाद्य सामग्री या पेय आदि व्यवस्थित रूप से ट्रे में बोन चाईना कप प्लेट में भेजने होंगे। कर्मचारियों को चाय/काफी बोन चाईना मग में देनी होगी। निविदा अवधि के प्रारम्भ में वांछित मात्रा में काकरी एवं ट्रे आदि आर.एस.एम.एम. लिमिटेड के प्रबंधन से अनुमोदित करा क्य करनी होगी।
34. निविदाकार द्वारा निविदा शर्तों का पूर्णरूपेण अनुपालना नहीं करने/कार्य को संतोष पूर्ण ढंग से निष्पादन नहीं करने व खाद्य/पेय पदार्थों की निर्धारित क्वालिटी न रखने पर निर्धारित कमेटी द्वारा उचित क्षतिपूर्ति मासिक बिल में से कटौती कर दी जाएगी।
35. निविदाकार के और विभाग दोनों के बीच में उठे किसी भी मतभेद की स्थिति में प्रमुख एवं प्रभारी (जिप्सम) आर.एस.एम.एम.एल., बीकानेर का निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों के लिए बाध्य होगा।
36. इस अनुबंध से संबंधित किसी प्रकार का विवाद होने पर न्याय क्षेत्र बीकानेर न्यायालय ही रहेगा।
37. निविदाकार आवेदन तिथि से निविदा निर्णय की अवधि में अपनी निविदा वापस लेता है अथवा शर्तें तथा स्थिति में परिवर्तन करता है, तो निगम को अधिकार होगा कि धरोहर राशि पूर्ण रूप से जब्त कर ले।
38. मासिक बिलो का भुगतान निम्नलिखित दस्तावेजों के उपलब्ध करवाने पर किया जायेगा
 - (i) मासिक बिल (दो प्रतियों में)।
 - (ii) P.F.जमा करवाने का चालान।
 - (iii) E.S.I.जमा करवाने का चालान।
 - (iv) वेतन भुगतान रजिस्टर की सत्यापित फोटो प्रति।
39. केन्टिन में केवल मात्र “**Commercial**” यानि व्यवसाईक गैस सीलेण्डर ही उपयोग में लेना होगा।
40. कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में एक (01)माह के अग्रिम नोटिस पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
41. आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्रोत पर कटौती की जावेगी एवं निविदाकार को अपना पेन नंबर लेखा विभाग में देना होगा।

42. निविदा में निर्धारित खाद्य/पेय पदार्थों के अतिरिक्त अन्य खाद्य/पेय पदार्थों की कीमतों का निर्धारण कंपनी द्वारा अधिकृत कमेटी द्वारा किया जाएगा।
43. समय समय पर राज्य /केन्द्र सरकार द्वारा ठेके के अधीन कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में जारी दिशा/निर्देशों/नियमों, उपनियमों एवं नियमों में संशोधन की पालना ठेकेदार द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
44. **राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 से संबंधित प्रावधान:-**
- 44.1 सार्वजनिक खरीद अधिनियम में राजस्थान ट्रांसपेरेंसी के सभी प्रावधान और सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले संशोधन और उसके तहत बनाए गए नियम स्वतः ही लागू होंगे।
- 44.2 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 की धारा 40 के अधीन यदि कोई बोली लगाने वाले या भावी बोली लगाने वाला व्यथित होता है कि खरीद इकाई का कोई निर्णय, कार्यवाही या चूक इस अधिनियम के प्रावधान या इसके द्वारा जारी किए गए नियमों या दिशा निर्देशों के उल्लंघन में है तो वह इस तरह के निर्णय या कार्यवाही की तारीख से दस दिनों में पहले या दूसरे अपील प्राधिकारी के समक्ष मामले को स्पष्ट रूप से दर्शाकर निर्धारित शुल्क के साथ राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत फार्म न. 01 (नियम 83 देखें) में दायर कर सकता है।

निविदा की अन्य विशिष्ट शर्तें

1. निविदा में निर्धारित सभी आइटम केन्टीन में उपलब्ध होने चाहिये। जिसकी प्रशासन विभाग द्वारा जांच की जा सकती है।
2. कॉन्ट्रक्टर शिकायत/सुझाव रजिस्टर केन्टीन में उपलब्ध रखेगा, जिसकी समय-समय पर जांच एवं उस पर संबंधित कार्यवाही की जायेगी। प्रशासन विभाग का निर्णय अंतिम होगा एवं निविदाकार उस निर्णय को मानने हेतु बाध्य होगा।
3. असंतोषजनक कार्य व व्यवहार की शिकायत की जांच के बाद वे यदि सही पाई गईं तो प्रतिभूति राशि (Security Deposit) जब्त की जा सकती है अथवा/तथा आगामी निविदा में भाग लेने से वंचित किया जा सकता है।
4. किसी भी प्रकार की हानि/दावा/क्षतिपूर्ति जो ठेकेदार अथवा उसके किसी कर्मचारी द्वारा की गई लापरवाही बनती है, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कॉन्ट्रक्टर की होगी।
5. ठेकेदार अपने कार्य निष्पादन से संबंधित सभी वैधानिक नियम व उपनियमों की पालना करेगा। सभी नियम व उपनियम जो कि वर्तमान में लागू हैं एवं भविष्य में लागू किये जाएंगे, की भी अनुपालना करेगा।
6. ठेकेदार अपने कार्य निष्पादन से संबंधित सभी दायित्वों, देनदारियों जो कि कामगारों और कोई तृतीय पक्ष के मजदूर एवं नियोजित कर्मचारियों को किसी भी नियम एवं उपनियम के तहत देय होगी, से कम्पनी को मुक्त रखेगा।
7. ठेकेदार कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, बोनस एक्ट 1966, ग्रेच्युटी एक्ट 1971, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, भारतीय रेट अधिनियम 1947, राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948, कान्ट्रेक्टर लेबर रेग्यूलेशन तथा अबोलेशन एक्ट, 1970, एम्प्लोयस लायबिलिटी एक्ट, 1938 इण्ड्रस्टीयल डिस्प्यूट एक्ट, 1947 इनमें से जो भी लागू हो एवं उनके समस्त अधिनियमों के अन्तर्गत दिए गए उपबंधों नियमों, उपनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। इन समस्त नियमों, उपनियमों में समय समय पर किए गए संशोधनों का निवर्हन नहीं किए जाने पर उसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों अथवा अन्य व्यक्तियों को होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेंगे।
8. अनुबंध लागू होने की स्थिति में ठेकेदारों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम -1948 एवं अन्य लागू अधिनियमों को और उनके अंतर्गत बनी हुई योजनाएं/नियमों और ठेकेदारों द्वारा नियोजित कामगारों पर लागू होने वाले सभी नियमों/अधिनियमों के अंतर्गत अपना अंशदान जमा कराने का दायित्व होगा।
9. कॉन्ट्रक्टर को आवश्यकतानुसार स्थानीय नगर परिषद् से शॉप एण्ड एस्टब्लिसमेन्ट एक्ट लाइसेन्स स्वयं लेना होगा।

प्रमुख एवं प्रभारी- जिप्सम

सत्यनिष्ठा की संहिता एवं हित का विरोध की अनुपालना :-

सत्यनिष्ठा की संहिता:-उपापन संस्था के समस्त अधिकारी या कार्मचारी:

1. किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिसने उपापन संस्था को उपापन किया है या करना चाहता है, कोई रिश्वत, इनाम या उपहार की या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भविष्य नियोजन के वचन से तात्विक फायदे के लिए अभ्यर्थना नहीं करेंगे या स्वीकार नहीं करेंगे ।
2. अपने कार्यालय के भीतर और बाहर दोनों जगह सत्यनिष्ठा का अधिक्षेप्य स्तर बनाये रखेंगे ।
3. किसी भी उपापन संस्था की बोली प्रक्रिया में किसी भी बोली लगाने वाले के प्रति कोई वित्तीय हित नहीं रखेंगे और किसी भी बोली लगाने के प्रति वित्तीय हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति उस उपापन प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा ।
4. उपापन प्रक्रिया में निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता के सिद्धांत के अनुसार समस्त बोली लगाने वालों के साथ निष्पक्ष और सौम्यापूर्ण तरीके से व्यवहार करेंगे ।
5. सूचना और सूचना के स्रोतों से संव्यवहार करने के दौरान समस्त परिस्थितियों में उपापन संस्था के हितों का संरक्षण करेंगे ।
6. उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा ।
7. उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा ।
8. हित का विरोध ,यदि कोई हो , प्रकट करेगा ।
9. पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विर्वजन को प्रकट करेगा ।

हित का विरोध :बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोलीदाता के हितों का टकराव नहीं होना चाहिए ।

किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हो जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो

कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,-

1. उनके समान नियंत्रक भागीदार है ।
2. वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है ।
3. उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है ।
4. उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो ।
5. कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है तथापि , यह एक ही उप संविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है; या
6. बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है । सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे की बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन ,विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किए हैं , के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में ना तो संबंध है और न ही संबंध रहा है या संविदा के लिए प्रयोजना प्रबंधक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है ।

योग्यता के संबंध में बोलीदाता द्वारा घोषणा

बोलीदाता द्वारा घोषणा

हमारी बोली के संबंध में.....की खरीद के लिए.....को उनके नोटिस में प्रतिसाद देते हुए बोलियां संख्या.....दिनांक.....इसके द्वारा हम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 , की धारा 7 के तहत घोषणा करते हैं ।

1. हमारे पास आवश्यक पेशेवर तकनीकी, वित्तीय और प्रबंधकीय संसाधन हैं और बोली लगाने वाले दस्तावेज द्वारा आवश्यक क्षमता की खरीद इकाई द्वारा की जाती है ।
2. हमने संघ और राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को देय ऐसे करों का भुगतान करने का हमारा दायित्व पूरा किया है जैसा कि मैंने बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट किया है ।
3. हम दिवालिया नहीं हैं । रिसेवर्सशिप में दिवालिया हो रहे या भटक रहे हैं हमारे मामलों को कोर्ट या न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित नहीं किया गया है न की हमारी व्यावसायिक गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया है और किसी को कानूनी कार्यवाही के अधीन नहीं किया गया है ।
4. हमारे निदेशकों और अधिकारियों को हमारे पेशेवर आचरण या झूठे बयान या गलत बयानी से संबंधित किसी भी आपराधिक अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है जैसे कि हमारी योग्यता एक अवधि के भीतर खरीद अनुबंध में प्रवेश करने के लिए । खरीद प्रक्रिया शुरू होने से पहले तीन साल या नहीं तो डिबेट कार्यवाही के लिए अयोग्य घोषित किया गया है ।
5. हमारे पास अधिनियम नियमों ओर बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट हितों का टकराव नहीं है जो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करता है ।

दिनांक.....

स्थान.....

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

पता.....

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम और पता है
प्रमुख सचिव,
राजस्थान सरकार,
खान एवं पेट्रोलियम विभाग,
सचिवालय, जयपुर ।

द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम और पता है
प्रमुख सचिव,
राजस्थान सरकार,
वित्त विभाग,
सचिवालय, जयपुर ।

(1) अपील दायर करना

अपील :- (1) धारा 40 के अधीन रहते हुए , यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय,कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को , जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार , जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए , ऐसे विनिष्चय या कार्यवाही या ,यथास्थिति , लोप की तारीख से दस दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि ,लो पूर्व –अर्हता दस्तावेजों ,बोली लगाने वाले के , रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये,भीतर अपील दाखिल कर सकेगा ।

परन्तु धारा 27 के निबंधनों में बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसने उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है ।

परन्तु यह और है कि ऐसी दशा में, जहां उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहां वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है ।

(2) अधिकारी ,जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा ।

(3) यदि उप-धारा (1)के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या , यथास्थिति ,उपापन संस्था,उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या , यथास्थिति,उप-धारा (2)के अधीन पारित आदेश की प्रप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा ।

4. कतिपय मामलों में अपील नहीं होगी :—उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलों से संबंधित किसी विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी, अर्थात्:—

- (i) (धारा 5 के निबन्धनों में) उपापन की आवश्यकता का अवधारणः
- (ii) (धारा 6 के उपबंधों के निबन्धनों में) बोली प्रक्रिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने का सीमित करने वाले उपबंधः
- (iii) (यह विनिश्चय कि धारा 15 के) निबन्धनों में बातचीत की जाये या नहीं :
- (iv) (धारा 26 के निबन्धनों में) उपापन का रददकरणः
- (v) (धारा 49 के अधीन) गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना ।

(5) अपील का प्रारूप:—(1) धारा 38 की उप-धारा (1) या (4)के अधीन कोई अपील प्रारूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी है ।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी ।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति द्वितीय अपील अधिकारी को व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी ।

(6) अपील फाईल करने के लिए फीस (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पाँच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी ।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा ।

(7) अपील निपटारे की प्रक्रिया (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाईल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील शपथ पत्र और दस्तावेजों यदि कोई हो की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा ।

(2) सुनवाई के लिये नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,—

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा ।

(3) पक्षकारों की सुनवाई मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा । और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करवायेगा ।

(4) उपनियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा ।

1.	बयाना राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट सं. व राशि	डिमाण्ड ड्राफ्ट पे आर्डर सं..... राशि..... दिनांक.....
2	निविदाकार का नाम, वर्तमान व स्थाई पता एवं टेलीफोन नं./मोबाईल नं /फैक्स नं./ ई मेल।	नाम..... पता..... टेलीफोन नं मोबाईल नं फैक्स नं. ई मेल
3.	आरएसटी/सीएसटी/जीएसटी /परमानेन्ट इन्कम टैक्स नं. यदि है तो (सफल निविदाकार के लिए मांगे जाने पर आवश्यक)	
4.	नगर परिषद का पंजीकरण विवरण	
5.	निविदाकारको सरकारी/प्राइवेट संस्थानों में पिछले 3 वर्षों में कम से कम एक(1)वर्ष केन्टीन चलाने का संतोषजनक अनुभव के प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न की गई है।	
6	क्या निविदाकार ने अपने स्वयं के बारे में इस आशय का एक शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत किया है कि केन्द्रीय/राज्य सरकार और किसी भी सरकारी या निजी उपक्रम में उसके द्वारा किये गये कार्य के बारे में उसका कोई विवाद लम्बित नहीं है ?	
7	प्रस्तावक का पी एफ रजिस्ट्रेशन नं एवं रजिस्ट्रेशन प्रामाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपी अथवा इस आशय का शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत किया है कि कार्य आदेश जारी होने के बाद पी. एफ.के रजिस्ट्रेशन करवा लिया जायेगा।	पी. एफ. रजिस्ट्रेशन नं शपथ पत्र.....

प्रमाण- पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने आर.एस.एम.एम.एल. के निविदा क्रमांक जारी किये गये मूल निविदा दस्तावेज के नियम व शर्तों को पढ़ा है। उसमें उल्लेखित सभी प्रकार के नियम व शर्तों पर सहमत हूँ तथा कार्य आदेश मिलने के पश्चात सात दिवस में केन्टीन सुव्यवस्थित एवं सुचारु रूप से चलाने के लिए बाध्य रहूंगा।

स्थान :

दिनांक:.....

निविदाकार के हस्ताक्षर

कार्य की दरें (Rate Part)

निविदाकारद्वारा निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ने एवं समझने के बाद इस भाग को भरना होगा :-

क्र.सं.	वस्तु का नाम	वजन/मात्रा प्रति इकाई	निर्धारित दर (रु.में)
1	चाय (स्टेन्डर्ड ब्रांड)	125मि.ली.	दर शब्दों में रु..... दर अक्षरों में रु.....
2.	काफी (नेस्केफे)	125 मि.ली.	दर शब्दों में रु..... दर अक्षरों में रु.....
3.	ब्रांडेडशीतल पेय(Branded Cold drink)	125 मि.ली.	दर शब्दों में रु..... दर अक्षरों में रु.....
4.	ब्रांडेडशीतल पेय(Branded Cold drink)	250 मि.ली.	दर शब्दों में रु..... दर अक्षरों में रु.....
5.	ब्रांडेडशीतल पेय(Branded Cold drink)	750 मि.ली.	दर शब्दों में रु..... दर अक्षरों में रु.....
6.	छाछ (सरस)	100 मि.ली.	दर शब्दों में रु..... दर अक्षरों में रु.....
7.	छाछ (सरस)	200 मि.ली.	दर शब्दों में रु..... दर अक्षरों में रु.....

Note-1.दरें शब्दों एवं अंको (Words & Figures) में स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। दरों में किसी तरह का अन्तर होने पर न्यूनतम दर को ही प्रस्तावित दर माना जायेगा ।2.उपरोक्त प्रस्तावित दर सर्विस टैक्स /वस्तु एवं सेवाकर(GST)के अतिरिक्त देय होगी एवं सर्विस टैक्स/वस्तु एवं सेवाकर(GST) का भुगतान सर्विस टैक्स/वस्तु एवं सेवाकर(GST) जमा चालान प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर...

निविदाकार/फर्म का नाम व मोहर.....

निविदाकार का पता.....

निविदाकार का टेलीफोन/मोबाईलनं.....दिनांक.....

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

.....की अपील सं.

(प्रथम/द्वितीय अपील प्राधिकारी).....के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियां

(क) अपीलार्थी का नाम.....

(ख) कार्यालय का पता यदि कोई हो तो

(ग) आवासिक पता.....

2. प्रत्यर्थी(प्रत्यर्थियों) का नाम और पता

(क)

(ख)

(ग)

3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरुद्ध अपील की गयी है और अधिकारी / प्राधिकारी का नाम और पदनाम जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपी संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है ।

4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता

5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों और दस्तावेजों की संख्या

6. अपील का आधार

.....
.....(शपथपत्र द्वारा समर्थित)

7. प्रार्थना.....
.....

स्थान.....

दिनांक.....

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.